THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES,SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACK-WARD CLASSES) ACT, 1994

[U. P. Act no. 4 of 1994]

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTION

1. Short title and commencement
2. Definitions
3. Reservation in favour of Scheduled Cast, Scheduled Tribes and other Backward Classes
4. Responsibility and powers of compliance of the Act
5. Penalty
6. Power to call for record
7. Representation in Selection Committee
8. Concession and relaxation
9. Caste Certificate
10. the State Government may
11. Protection of action taken is good faith
12. Power to make rules
13. Power to amend the Schedules-
14. Laying of Order etc.

No. 488(2)/XVII- V-1-1(K A)6-1994

Dated, Lucknow March 23,1994

IN pursuance of the provisions Of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit jatiyon. Anusuchit janjatiyon Aur Anya Pichhre Vargon Ke Liya Arakshan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislative and assented to by the Governor on March 22, 1994.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACK-WARD CLASSES) ACT, 1994

(U. P. Act no. 4 of 1994)

(As passed by the U.P. Legislative Assembly)

AN

ACT

to provide for the reservation in public Services and posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993. Definitions

2.Definitions- In this Act

(a) "appointing authority" in relation to public services and posts means the authority empowered to make appointment to such services or posts :

[1][(b) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule 1;]

[2][clauses (b-1), (b-2) and (b-3) shall be omitted.]

(c) "public services, and posts" means the services and posts in connection with the affairs of the State and includes services and posts in—

(i) a local authority :

[1] Subs by sec 2(a) of U.P.Act No 1 of 2002(w.e.f. 31-08-2002)

[2] Omitted by sec 2(b) of U.P.Act No 1 of 2002(w.e.f. 31-08-2002)

(ii) a co-operative society as defined in clause (f) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 in which not less than fifty-one percent of the share capital of the society is held by the State Government :

(iii) a Board or a Corporation or a statutory body established by or under a central or a Uttar Pradesh Act which is owned and controlled by the State Government, or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty-one percent of the paid up share capital is held by the State Government : (iv) an educational institution owned and controlled by the State Government or which receives grants in aid from the State Government, including a university established by or under a Uttar Pradesh Act, except an institution established and, administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution ;

(v) respect of which reservation was applicable by Government orders on the date or the commencement of this Act and which are not covered under sub-clauses (i) to (iv) ; (d) "year of recruitment" in relation to a vacancy means a period of twelve months commencing on the first of July of a year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

3. Reservation in favour of Scheduled Cast, Scheduled Tribes and other Backward Classes-

[1][(1) In public services and posts, there shall be reserved at the stage of direct recruitment, the following percentages of vacancies to which recruitment are to be made in accordance with the roster referred to in sub-section (5) in favour of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens,—

(a)in the case of Scheduled Castes twenty one percent :

(b)in the case of Scheduled Tribes two percent :

(c)in the case of other backward classes of citizens twenty seven percent:

Provided that the reservation under clause (c) shall not apply to the category of other backward classes of citizens specified in Schedule II.

Provided further that reservation of vacancies for all categories of persons shall not exceed in any year of recruitment fifty per cent of the total vacancies of that year as also fifty percent of the cadre strength of the service to which the recruitment is to be made ;

(2) If, in respect of any year of recruitment any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, such vacancy shall be carried forward and be filled through special recruitment in that very year or in succeeding year or years of recruitment as a separate class of vacancy and such class of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year of recruitment in which it is filled and also for the purpose of determining the ceiling of fifty per cent reservation of the total vacancies of that year notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1);]1

---

[1] Subs by sec 3(a) of U.P.Act No 1 of 2002(w.e.f. 31-08-2002)

[1][(3) where a suitable candidate belonging to the Scheduled Tribes or Scheduled Castes, as the case may be, is not available in a recruitment either under sub-section (1) or sub-section (2) the vacancy reserved for him may be filled in such recruitment, from amongst the suitable candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, and as soon as a vacancy earmarked in the roster referred to in sub-section (5) for the Scheduled Castes or Schedule Tribes, as the case may be, arises such person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, shall be adjusted against such vacancy of his own category.]

[2][sub-section (3-A), (3-B) shall be omitted.]

[3] [(4) sub-suction (4) shall be omitted.]

[4][(5) The State Government shall for applying the reservation under sub-section (1), by a notified order, issue a roster comprising the total cadre strength of the public service or post indicating therein the reserve points, and the roster so issued shall be implemented in the form of a running account from year to year until the reservation for various categories of persons mentioned in sub-section (1) is achieved and the operation of the rooster and the running account shall, thereafter, come to an end, and when a vacancy arises thereafter in public service or post the same shall be filled from amongst the persons belonging to the category to which the post belongs in the roster.]

6) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

(7) [****][5]

4. Responsibility and powers of compliance of the Act-1) The State Government may, by notified order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this Act.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in subsection (l) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility' entrusted to him under subsection (1).

5. Penalty-(1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of section 4 who willfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purpose of this Act shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State. Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

---

[1] Subs by sec 2 of U.P.Act No 45 of 2007 (w.e.f. 25-08-2007)
[2] Subs by sec 3a(i) of U.P.Act No 1 of 2002 (w.e.f. 31-08-2002)
[3] Omitted by sec 3b(ii) of U.P.Act No 1 of 2002 (w.e.f. 31-08-2002
[4] Subs by sec 3c of U.P.Act No 1 of 2002 (w.e.f. 31-08-2002)
[5] Omitted by sec 2 of U.P.Act No 1 of 2013 (w.e.f. 07-05-2012)

(3) An offence punishable, under sub-suction (1) skill be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first (lass and the provisions of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the code of criminal Procedure, 1973 shall mutatis mutandis apply.

6. Power to call for record- If it comes to the notice of the State Government, that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (I) of section 3 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made there under or the Government orders in this behalf by the appointing authority, it may call for such records and take such action as it may consider necessary.

7. Representation in Selection Committee - The State Government may by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward classes of citizens in the Selection Committee to such extent and in such manner as it may consider necessary where such Committee is constituted either under the service rules or otherwise.

8. Concession and relaxation- The State Government may, in favor of the categories of persons mentioned in sub-section (1) of section 3 by order, grant such concessions in respect of fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit, as it may consider necessary.

(2) The Government orders' in force on the date of the commencement of this Act, in respect of concessions and relaxations, including concession in fees for any competitive examination or interview and relaxation In upper age limit and those relating to reservation direct recruitment and promotion. in favor of categories of persons referred to in sub-section (1) which are not in consistent with the provisions of this Act shall continue to be applicable till they are modified or revoked, as the' case may be.

9. Caste certificate- For the purpose of reservation provided under this Act caste certificate shall be issued by such authority or officer and in such manner and form as the State Government may, by order, provide.

10. the State Government may- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act.

11. Protection of action taken is good faith-No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any .person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made there under.

12. Power to make rules- The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

13. Power to amend the Schedules- The State Government may, by notification amend the Schedules and upon the publication of such notification in the Gazette, the Schedules shall he deemed to be amended accordingly.

14. Laying of Order etc.- Every order made under sub-section (5) of section 3, sub- section (1) and (2) of section 4 and section 10 and every notification issued under section 13 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislative and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the

Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

15. (1) The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has been initiated before we commencement of this Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law and Government orders as they stood before such commencement.

Explanation: For the purposes of this sub-section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of—

(i) written test or interview only, the written test of the interview, As the case may be, has started, or (ii) both written test, and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to the appointment, to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.

16. (1) Repeal and Saving- The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989, The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993 and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance, 1994 are hereby repealed.

(2) U.P. Act no. 21 of 1989 U.P. Act no.3 of 1993- Notwithstanding Such repeal anything done or any action taken under the provisions of the Acts and the ordinance referred to in subsection (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times. U.P. Ordinance no. 5.

[1][(1) SCHEDULED-I

(See .SECTION 2 (b]

1. Ahir, Yadav, Gwala, Yaduvanshiya	41.Bhurji, Bharbhunja, Bhooj, Kandu, Kashaudhan
2. Sonar, Sunar,, Swarnkar	42.Bhathiara
3. Jat.	43.Mali, Saini
4. Kurmi, Chanau, Patel,, Patanwar, Kurmi-Mall, Kurmi-Seinthwar	44. Sweeper (Those not included in Scheduled Caste Category), Halalkhor
5. Giri	45.Lohar, Lohar-Saifi
6. Gujar	46.Lonia,. Nonia, Gole-thakur, LoniaChauhan
7. Gosain	47.Rangrez, Rangwa
8. Lodh,, Lodha, Lodhi,, Lot,, Lodhi-Rajput	48.Marchcha
9. Kamboj	49.Halwai. Modanwal
10. Arakh,, Arakvanshiya	50.Hajjam, Nai, Salmani, Savita, Sriwas
11.Kachchi,, Kachchi-Kushwaha, Shakya	51. Rai Sikh
12.Kahar,, Kashyap	52. Sakka-Bhisti,, Bhisti-Abbasi

[1] Subs by sec 4 of U.P.Act No 1 of 2002 (w.e.f. 31-08-2002)

13.Kewat, Mallah, Nishad 14.Kisan 15.Koeri 16.Kumhar, Prajapati 17.Kasgar 18.Kunjra or Raeen 19.Gareria, Pal, Vaghel 20.Gaddi, Ghoshi. 21.Chikwa, Qassab Qureshi, Chak 22.Chhippi, Chipa 23.Jogi 24.Jhoja 25.Dhafali 26.Tamoli, Barai,, Chaurasia 27.Teli, Samani,, Rogangar,, Sahu,, Rauniar, Gundhi,, Arrak 28.Darji, Idrisi,, Kakutstha 29.Dhiver 30.Naqqal 31.Nat (Those not included in Scheduled Castes Category) 32.Naik 33.Faqir 34.Banjara, Ranki, Mukeri, Mukerani 35.Barhai,, Saifi, Vishwakarma,, Panchal. Ramgadhiya, Jangir, Dhiman 36.Bari 37.Beragi 38.Bind 39.Biyar 40.Bhar, Raj-Bhar.	53. Dhobi (Those not included in the Schedule Castes or Scheduled Tribes Category) 54. Kasera,, Thathera, Tamrakar 55. Nanbai 56. Mirshikari 57. Shekh Sarwari (Pirai), Peerahi 58. Mev, Mewati 59. Koshta/Koshti 60. Ror 61. Khumra, Sangalarash, Hansiri 62. Mochi 63. Khagi 64. Tanwar Singharia 65. Katuwa 66. Maheegeer 67. Dangi 68. Dhakar 69. Gada 70. Tantawa 71. Joria 72. Patwa, Patahara, Patchara, Deovanshi 73. Kalal, Kalwar, Kalar 74. Manihar,, Kacher,, Lakhara 75. Murao, Murai, Maurya 76. Momin (Ansar) 77. Muslim Kayastha 78. Mirasi 79. Naddar (Dhuniya),, Mansoori,, Kandere, Kadera, Karan (Karn)]

[1][SCHEDULE-II

(See section 3(1))

I. CONSTITUTIONAL POSTS :—

Son or daughter of a person who is [2][****],-

(a) the President of India ;

(b) the Vice President of India;

(c) the Judges of the Supreme Court or High Courts;

---

1 Subs by sec 4 of U.P.Act No 21 of 2001(15-09-2001)
2 Omitted by sec 5(a) of U.P.Act No 01 of 2002

(d) the Chairman or Member of the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, the Chief Election Commissioner or the Comptroller and Auditor-General of India;

(e) On any other constitutional post of like nature.

II. SERVICE CATEGORY :—

(A) Group A or Class I officers of the All India, Central and State Services (Direct Recruits)

Son or daughter of :—

(a) parents, both of whom are Group A or Class I officers;

(b) parents, either of whom is a Group A or Class I officer

(c) parents, both of whom are Group A or Class I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation;

(d) parents, either of whom is a Group A 'or Class I officer and such Parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organisation, such as, the United Nations, the International Monetary Fund, World Bank, etceteras., for a period of not less than five years; and

(e) parents, both of whom are Group A or Class I officers and such parents die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organisation such as the United Nations, the International Monetary Fund, the World Bank etceteras for a period of not less than five years.

(B) Group B or Class II officers of the Central and State Services (Direct Recruits)

Son or daughter or :—

(a) parents both of whom are Group B or Class II officers;

(b) parents of whom only the father is a Group B or Class II officer and he gets into Group A or Class I at the age of forty year or earlier ;

(c) parents, both of whom are Group B or Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organization, such as, the United Nations, the International Monetary Fund, the World Bank etcetera for a period of not less than five years before such death or permanent incapacitation;

(d) parents of whom the father is a Group A or Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the mother is a Group B or Class II officer and the mother dies or suffers permanent incapacitation ; and

(e) parents of whom the mother is a Group A or Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and, the father is Group B or Class II officer and the father dies or suffers permanent incapacitation.

Explanation- For the purposes of this category it is clarified that the expression. "permanent incapacitation" Means incapacitation which results in putting an officer out of service.

(C) Employees in Public Sector Undertakings :—

The criteria specified in sub-category (A) and (B) above shall apply mutatis mutandis to officers holding equivalent or Comparable posts in Public Sector Undertakings, Banks, Insurance Organization, Universities etceteras and also to equivalent or comparable posts and positions under private employment pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable 'basis in these institutions, the criteria specified in category IV below shall apply to the officers in these institutions.

III—ARMED FORCE INCLUDING PARA MILITARY FORCES (Persons holding civil posts are not included) Son or daughter of parents, either or both of whom are in the rank of Colonel and above in the Army or to equivalent posts in the Navy, the Air Force and Pam Military Forces.

Explanation— For the purposes of this category the service ranks below Colonel of father andmother shall not be clubbed, together.

IV:—PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN TRADE AND INDUSTRY

The criteria specified in category V1 below shall apply to—

(A) The persons engaged in profession as a doctor, lawyer, chartered accountant, Income-Tax consultant, dental surgeon, engineer, architect, flint artist and other film professional, author, play-wright, sports persons, sport professional, media professional or any other vacations of like status; and

(B) The persons engaged in trade, business and industry.

Explanation — (i) Where the father is in any profession mid the mother is in a Group B or Class II or lower grade employment, die criteria specified in category VI below shall apply only on the basis of the father's income and the mother's income shall not be Clubbed with it.

(ii) where the mother is in any profession and the father is in a Group B Of Class II or lower grade employment, the criteria specified in category VI below shall apply only on the basis of the mother's Income and the father's income shall not be clubbed with it.

V-PROPERTY OWNERS

(A) Agricultural holdings :—

Son or daughter of parents, either of whom together with his family, which includes self, his spouse and minor children, holds –

(a) only irrigated fluid which is equal to or more than Eighty five per cent of the statutory ceiling limit, or

(b) both irrigated and un-irrigated land, where die irrigated land (having been brought to a Single type under a common denominator) is not less than forty percent of the statutory ceiling limit for the irrigated mud, the un-irrigated land Shall be converted into the irrigated land on the basis of the existing conversion formula and the litigated area so computed shall be added to the actual area of The irrigated land and the total area so arrived at in terms of irrigated land is equal to or more than Eighty per cent of the statutory ceiling limit for irrigated land.

Explanation—The terms "statutory ceiling limit" and "conversion formula" shall be construed in accordance with the law relating to ceiling on the land holdings of that area in Which the land in question is situated.

(B) Plantations:—

(1) Coffee, tea, rubber etceteras.

The criteria specified in the category VI below shall apply—

(2) Mango, citrus, apple etcetera.

The land of/such plantations shall be deemed to be agricultural holding and the criteria specified under sub- category (A) above shall apply.

(C) Vacant land or buildings in urban area or urban agglomerations :—

The criteria specified in category VI below shall apply.

Explanation-For the purposes of this sub-category it is clarified that building may be used for residential commercial of industrial purpose and the like two or more such purposes.

VI—INCOME OR WEALTH CRITERIA

Son or daughter of:—

[1][(a) the persons having gross annual income or rupees eight lakhs or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act., 1957 for a period of three consecutive years ;]

(b) the persons Specified in categories I, II, III or V (A) who are not disentitled the benefit of 'reservation' but have income from other sources which will bring them within the criteria specified in sub-category (a) above.

Explanation—For the purposes of this category it is clarified that—

[1] Subs by Notification No 22/16-92.T.C-III, dated 29-01-2014

(i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed;

(ii) the income criteria in terms of rupee shall be modified taking into account the change in its value every three years. If the situation, however; so demands, the interregnum may be less.][1]

[Schedule-3][2]

[1] Subs by sec 4 of U.P.Act No 21 of 2001(15-09-2001)

[2] Omitted by sec 6 of U.P.Act No 01 of 2002

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994]

धाराओं की विषय सूची

धारायें

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2- परिभाषाएं

3- अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण

4- अधिनियम के अनुपालन में उत्तरदायित्व

5- शास्ति

6- अभिलेख मांगने की शक्ति

7- चयन समिति का प्रतिनिधित्व

8- छूट और शिथिलीकरण

9- जाति प्रमाण-पत्र

10- कठिनाईयों को दूर करना

11- सद्‌भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

12- नियम बनाने की शक्ति

13- अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

14- आदेशों इत्यादि का रखा जाना

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 488/सत्रह-वि-1-1 (क) 6-1994

लखनऊ, 23 मार्च, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 मार्च, 1994 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह और अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2-परिभाषाएं- इस अधिनियम में,

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

[1] [(ख) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है";]

[2] [(ख) खण्ड (ख-1), (ख-2). (ख-3) निकाल दिये जायेंगे।]

---

1 उ0प्र0 अधि0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-2(क) द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 31-08-2002 से प्रवृत्त)

2 उ0प्र0 अधि0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 31-08-2002 द्वारा निकाला गया।)

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं :

(एक) स्थानीय प्राधिकारी;(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति, अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो;

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो;

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है।

(पांच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है;

(घ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है।

3- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण-

[1][(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा:

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में- इक्कीस प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में- दो प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में- सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा :

परन्तु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, किसी भर्ती का वर्ष में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की, जिसके लिए भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

---

1 उ0प्र0 अधि0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-3(क) द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 31-08-2002 से प्रवृत्त)

(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्ति को अग्रनीत किया जायगा और उसे उसी वर्ष में या पश्चात्वर्ती वर्ष में या भर्ती के वर्षों में पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा जायगा और उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ, जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी;]

[1][(3) जहां, या तो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भर्ती में, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां ऐसी भर्ती में उसके लिए आरक्षित रिक्ति, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों में से भरी जा सकती है, और जैसे ही यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए उपधारा (5) में, निर्दिष्ट रोस्टर में, निश्चित की गयी कोई रिक्ति होती है, तो यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ऐसे व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।]

[2][(ख) (एक) उपधारा (3-क), (3-ख) निकाल दी जायगी;]

[3][(दो) उपधारा (4) निकाल दी जायगी :]

[4]["(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए, अधिसूचित आदेश द्वारा, लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी जिसमें आरक्षण बिन्दुओं को इंगित किया जायगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायगा जब तक उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूरा न हो जाए और तत्पश्चात् रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायगा और तत्पश्चात् जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जायगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो।"]

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

[5][(7)उपधारा 3(7) निकाल दी जायेगी।]

4-अधिनियम के अनुपालन में उत्तरदायित्व और शक्ति-

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

---

1 उ0प्र0 अधि0 सं0- 45 आफ 2007 की धारा-2 द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 25-08-2007 से प्रवृत्त)

2 उ0प्र0 अधि0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-3क (i) द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 31-08-2002 से प्रवृत्त)

3 उ0प्र0 अधि0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा- 3ख (i)द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 31-08-2002 द्वारा निकाला गया)

4 उ0प्र0 अधि0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-3(ग) द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 31-08-2002 से प्रवृत्त)

5 उ0प्र0 अधि0 सं0-1 आफ 2013 की धारा-2 द्वारा (दिनाँक 07-05-2012 द्वारा निकाला गया)

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो

5- शास्ति-

(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, 'किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संक्षेपत किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, . 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होगे।

6- अभिलेख मांगने की शक्ति-

यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) में अभिलेख मांगने की उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या शक्ति इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अननुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

7- अधिनियम के अनुपालन में उत्तरदायित्व और शक्ति-

राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी चयन समिति में आवश्यक समझी जाय और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की प्रतिनिधित्व जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

8- छूट और शिथिलीकरण-

(1) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष छूट और में, आदेश द्वारा, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और शिथिलीकरण उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

9- जाति प्रमाण-पत्र-

इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायगा।

10- कठिनाईयों को दूर करना-

यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो कठिनाइयों को दूर राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से करना असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

11- सद्‌भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण-

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की · सद्भावपूर्वक की गई गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही का संरक्षण वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

12- नियम बनाने की शक्ति-

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना नियम बनाने की द्वारा, नियम बना सकती है।

13-अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति-

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट में अनुसूचियों को ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों का तद्नुसार संशोधित समझा जायगा।

14-आदेशों इत्यादि का रखा जाना-

धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और रखा जाना धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश 'अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

15-अपवाद-

(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण:-जहां सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहां, यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर ; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी . जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

16-निरसन और अपवाद-

(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1989, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित अधिनियम संख्या जनजातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा 21 सन् 1989 उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम संख्या 3. आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों उत्तर प्रदेश अध्यादेश और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कत कोई कार्य या कार्यवाही इस संख्या 5 सन् 1994 अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे।

अनुसूची--एक[1]

देखिए धारा 2 (ख)

1.	अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशी	42.	भठियारा
2.	सोनार, सुनार, स्वर्णकार	43.	माली, सैनी
3.	जाट	44.	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
4.	कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैंथवार	45.	लोहार, लोहार-सैफी
5.	गिरी	46.	लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान
6.	गूजर	47.	रंगरेज, रंगवा
7.	गोसाई	48.	मारछा
8.	लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत	49.	हलवाई, मोदनवाल
9.	कम्बोज	50.	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
10.	अरख, अर्कवंशीय	51.	राय सिक्ख अर्राक
11.	काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य	52.	सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी
12.	कहार, कश्यप	53.	धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
13.	केवट, मल्लाह, निषाद	54.	कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
14.	किसान	55.	नानबाई

1 उ0प्र0 अधि0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-4 द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 31-08-2002 से प्रवृत्त)

15.	कोइरी	56.	मीरशिकार
16.	कुम्हार, प्रजापति	57.	शेख सरवारी (पिराई), पीराही
17.	कसगर	58.	मेव, मेवाती
18.	कुजड़ा या राईन	59.	कोष्टा/कोष्टी
19.	गड़ेरिया, पाल, बघेल	60.	रोड़
20.	गद्दी, घोसी	61.	खुमरा, संगतराश, हंसीरी
21.	चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक	62.	मोची
22.	छीपी, छीपा	63.	खागी
23.	जोगी	64.	तंवर सिंघाड़िया
24.	झोजा	65.	कतुआ
25.	डफाली	66.	महागीर
26.	तमोली, बरई, चौरसिया	67.	दांगी
27.	तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी,	68.	धाकड़
28.	दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ	69.	गाडा
29.	धीवर	70.	तंतवा
30.	नक्काल	71.	जोरिया
31.	नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)	72.	पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
32.	नायक	73.	कलाल, कलवार, कलार
33.	फकीर	74.	मनिहार, कचेर, लखेरा
34.	बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी	75.	मुराव, मुराई. मौर्य
35.	बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान	76.	मोमिन (अंसार)
36.	बारी	77.	मुस्लिम कायस्थ
37.	बैरागी	78.	मिरासी
38.	बिन्द	79.	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे, करण
39.	बियार		
40.	भर, राजभर		
41.	भुर्जी, भड़भुजा, भुंज, कांदू, कशोधन		

[1]अनुसूची-दो

[धारा 3 (1) देखिए]

एक-संवैधानिक पद

ऐसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री जो,[2][****]

(क) भारत का राष्ट्रपति हो या रहा हो;

(ख) भारत का उप राष्ट्रपति हो या रहा हो;

(ग) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो या रहा हो;

(ङ) इसी प्रकार के किसी अन्य संवैधानिक पद पर आसीन हो या रहा हो।

दो-सेवा श्रेणी

(क) अखिल भारतीय, केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री

(क) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता-पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो,

(ग) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों किन्तु उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय,

(घ) जिनके माता-पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो और ऐसे माता-पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थाई अक्षमता से ग्रसित हो जाय और ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो, और

(ङ) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों और ऐसे माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाय या वे अस्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जायं और दोनों की ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उनमें से किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष की अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो।

---

1 उ0प्र0 अधि0 सं0- 21 आफ 2001 की धारा-4 द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 15-09-2001 से प्रवृत्त)

2 उ0प्र0 अधि0 सं0- 1 आफ 2002 की धारा-5 (क) (दिनाँक 31-08-202 द्वारा निकाला गया)

(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाएं (सीधी भर्ती) समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री

(क) जिनके माता-पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता-पिता में से केवल पिता समूह ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और वह चालीस वर्ष या इसके पूर्व की आयु में समूह क या श्रेणी एक में आ जाय,

(ग) जिनके माता-पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों, और उनमें से एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय और उनमें से किसी एक को ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(घ) जिनके माता-पिता में से पिता समूह क या श्रेणी एक का (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और माता समूह ख या श्रेणी दो की अधिकारी हों और माता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और

(ङ) जिनके माता-पिता में से माता समूह क या श्रेणी एक की (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और पिता समूह ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय।

स्पष्टीकरण- इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पद “स्थायी अक्षमता का" तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा से बाहर हो जाय।

(ग)सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम:-

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारी ऊपर उप श्रेणी (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन के अधीन भी समकक्ष या तुलनीय पदों और स्थानों पर हों। इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय आधार पर पदों के मूल्यांकन के लम्बित रहते नीचे श्रेणी छ: में विनिर्दिष्ट मानदण्ड, इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा।

तीन-अर्द्धसैनिक बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं)

ऐसे माता-पिता, जिनमें से कोई या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पद पर हों या नौ-सेना, वायु-सेना और अर्द्धसैनिक बलों में उसके समकक्ष पदों पर हों, के पुत्र या पुत्री।

स्पष्टीकरण- इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक साथ नहीं जोड़ा जायगा।

चार-व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धन्धे और उद्योग में लगे व्यक्ति नीचे श्रेणी छ: में विनिर्दिष्ट मानदण्ड निम्नलिखित पर लागू होंगे

(क) डाक्टर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, आयकर परामर्शदाता, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता वास्तुविद्, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेलकुद, व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति, और।

(ख) धन्धे व्यापार और उद्योग में लगे व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण- (एक) जहां पिता किसी व्यवसाय में हो और माता समूह ख या श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, वहां नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा और माता की आय इसके साथ नहीं जोड़ी जायगी।

(दो) जहां माता किसी व्यवसाय में हो और पिता समूह ख या श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, तो नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी।

पांच-सम्पत्ति स्वामी

(क) कृषि भूमि जोत

ऐसे माता-पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ जिसमें वह स्वयं, उसकी पत्नी /पति और नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं, निम्नलिखित भूमि का स्वामी हो, के पुत्र या पुत्री-

क) केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम जोत सीमा के पच्चासी प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हो, या

ख) सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि (जो किसी सामान्य डिनोमिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लायी गई हो) सिंचित भूमि की साविधिक कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस प्रतिशत से अधिक है, वहां असिंचित भूमि विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जायगा और इस प्रकार आई सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम जोत सीमा के अस्सी प्रतिशत के बराबर या अधिक हो ।

स्पष्टीकरण- पद "कानूनी अधिकतम जोत सीमा" और "परिवर्तन फार्मूला" का अर्थ उस क्षेत्र के अधिकतम कृषि जोत सीमा से सम्बन्धित विधि के अनुसार लगाया जायगा जिसमें प्रश्नगत भूमि स्थित हो।

(ख) पौधा रोपण-

(एक) काफी, चाय, रबर आदि

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा,

(दो) आम, निबूवंश, सेव आदि-

ऐसे पौधा रोपण की भूमि कृषि भूमि जोत समझी जायगी और ऊपर उप श्रेणी (क) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

(ग) शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

स्पष्टीकरण- इस उप श्रेणी के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों या इस प्रकार के दो या अधिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

छः-आय या सम्पति मानदण्ड

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री ----

[1](क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का अपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य श्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।

स्पष्टीकरण-इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि

(एक) वेतन या कृषि से आय को मिलाया नहीं जाएगा,

(दो) रुपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जाएगा। परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो अन्तराल कम भी हो सकता है।"

अनुसूची-

[देखिये धारा 3(3)]

1. चमार, धूसिया, झुसिया, जाटव

1.	अगरिया	34.	घसिया
2.	बधिक	35.	गोंड
3.	बादी	36.	ग्वाल
4.	बहेलिया	37.	हबुड़ा
5.	बैगा	38.	हरि
6.	बैजवर	39.	हेला
7.	बजनिया	40.	कालाबाज़
8.	बाजगी	41.	कंजड़

1 उ0प्र0 अधि0 सं0- 22 /16-92टी0सी0-3 द्वारा प्रतिस्थापित, (दिनाँक 29-01-2014 से प्रवृत्त)

9.	बलहर	42.	कपिड़या
10.	बलाई	43.	करवल
11.	बाल्मीकि	44.	खैराहा
12.	बंगाली	45.	खरवार (बेनबांसी को छोड़कर)
13.	बनमानुष	46.	खटिक
14.	बांसफोड़	47.	ख़ोरोट
15.	बरवार	48.	कोल
16.	बसोड़	49.	कोरी
17.	बावरिया	50.	कोरवा
18.	बेलदार	51.	लालबेगी
19.	बेड़िया	52.	मझवार
20.	भंटू	53.	मजहबी
21.	भुइया	54.	मुसहर
22.	भुइयार	55.	नट
23.	बोड़िया	56.	पंखा
24.	चेरो	57.	परहिया
25.	दवगर	58.	पासी, तरमाली
26.	धांगर	59.	पाटरी
27.	धानुक	60.	रावत
28.	धरकार	61.	सहरया
29.	धोबी	62.	सनौढिया
30.	डोम	63.	सासिया
31.	डोमर	64.	शिल्पकार
32.	दुसाध	65.	तुरैहा
33.	धरमी		